"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 28, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2002/वाक/पांच (115).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31-3-2003 तक के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

अनुसूची

अनु क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	फ्लाइ-ऐश	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित फ्लाइ-ऐश का वस्तुओं के निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया गया हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10/29/2002/वाक/पांच (115).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2002/वाक/पांच (115), दिनांक 19-12-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 19th December 2002

NOTIFICATION

No. F-10/29/2002/CT/V (115).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from the publication in Official Gazette to 31-3-2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Fly-Ash	Whole of tax	When Fly-Ash produced in the state of Chhattisgarh entered into a local area for consumption or use in the manufacture of goods..

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.